

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक 111/अ.०/2004-05

प्रमाणित किया जाता है कि यदुवंशी शिक्षा समिति सीहली

जिला मुम्बई का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम 28,1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सताईस माह अक्टूबर सन् दो हजार चार को मुम्बई में दिया गया।


राजस्त्रार सत्याय
रजिस्ट्रार सस्थाएँ